

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/18

जयपुर, दिनांक : 26.10.2018

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'पंचम' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र.सं.	वरियता संख्या	नाम एवं पदनाम आवंटी	सेवानिवृत्ति दिनांक	प्रस्तावित आवंटित आवास
1.	108/2007	श्रीमती कुमुद सांखला ए.एन.एम हरिबक्स कावंटिया जिला चिकित्सालय, जयपुर।	31.8.2036	5/54 गांधीनगर
2.	111/2007	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक राजस्व विभाग, कलेक्ट्रेट कार्यालय, जयपुर।	30.6.2025	5/60 गांधीनगर
3.	121/2011	श्री कुशाल सिंह राठौड़ लिपिक ग्रेड-प्रथम हाल पदस्थापित कार्यालय राज्यमंत्री ऊर्जा विभाग, विधि एवं विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्शी विभाग, जयपुर	30.06.2046	5/ए/12 बहुमंजिला गांधीनगर
4.	32/2012	श्री प्रमोद कुमार वरिष्ठ लिपिक मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय जयपुर।	30.6.2042	5/ए/20 बहुमंजिला गांधीनगर
5.	112/2007	श्री अजय कुमार कनिष्ठ लिपिक सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	31.8.2039	5/ए/24 बहुमंजिला गांधीनगर
6.	1/2008	श्रीमती कंचन सांखला नर्स ग्रेड-II महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट, जयपुर।	31.3.2042	5/बी/22 बहुमंजिला गांधीनगर
7.	3/2008	श्री लाडली शरण उदयवाल अनुदेशक सार्वजनिक निर्माण विभाग मुख्य वास्तुविद, जयपुर।	31.7.2031	5/बी/23 बहुमंजिला गांधीनगर
8.	42/2012	श्री राजेन्द्र माल कनिष्ठ लिपिक विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.3.2047	5/सी/2 बहुमंजिला गांधीनगर
9.	44/2012	श्री कृष्ण कुमार कनिष्ठ लिपिक शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.12.2041	5/सी/6 बहुमंजिला गांधीनगर
10.	4/2008	श्री शिवचरण गोठवाल कनिष्ठ लिपिक अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक, क्र.सं.-4, जयपुर शहर, जयपुर।	31.3.2045	जीएडी/5/टी-1/23 विद्याधर नगर
11.	5/2008	श्री नानूराम कनिष्ठ लिपिक आयोजना एवं कल्याण, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।	31.7.2036	5/सी/8 बहुमंजिला गांधीनगर

12.	6/2008	श्री नंद किशोर मीणा कनिष्ठ लिपिक आयोजना एवं कल्याण, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।	31.12.2039	5/डी/9 बहुमंजिला गांधीनगर
13.	55/2012	श्री शविन्द्र पाल कनिष्ठ लिपिक खान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	28.02.2042	5/67, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
14.	56/2012	श्री जितेश उपाध्याय कनिष्ठ लिपिक खान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.8.2052	5/113, गांधीनगर
15.	7/2008	श्री मनोज शर्मा कनिष्ठ लिपिक उद्योग विभाग, जयपुर।	30.11.2032	जीएडी/5/टी-1/160 विद्याधर नगर
16.	8/2008	श्री राजकुमार मीणा वरिष्ठ लिपिक कृषि निदेशालय, जयपुर।	31.1.2036	जीएडी/5/टी-1/44 विद्याधर नगर
17.	9/2008	श्री तुलसीदास सनमुखानी कनिष्ठ लिपिक रा.राज.उच्च माध्यमिक विद्यालय, बजाजनगर, जयपुर।	31.1.2020	5/150, गांधीनगर
18.	57/2012	श्री भवानी प्रताप पन्नू कनिष्ठ लिपिक प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.10.2049	5/146, गांधीनगर
19.	58/2012	श्री राजेन्द्रसिंह चौधरी कनिष्ठ लिपिक आर्युवेद विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.7.2045	जीएडी/5/टी-1/47 विद्याधर नगर
20.	10/2008	श्री सुखदेव वर्मा कनिष्ठ लिपिक निदेशालय, कृषि विभाग, जयपुर।	30.4.2033	जीएडी/5/टी-1/54 विद्याधर नगर
21.	12/2008	श्री दिनेश चन्द्र निर्मल कनिष्ठ लिपिक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, जयपुर।	31.7.2042	जीएडी/5/टी-1बी/89 विद्याधर नगर
22.	14/2008	श्री महेश नारायण सक्सेना कनिष्ठ लिपिक जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर।	31.8.2030	जीएडी/5/टी-1/91 विद्याधर नगर
23.	61/2012	श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ लिपिक कार्मिक(क-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.11.2048	जीएडी/5/टी-1/110 विद्याधर नगर
24.	62/2012	श्री सौरभ सर्राफ कनिष्ठ लिपिक राज्यमंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.8.2043	जीएडी/5/टी-1/112 विद्याधर नगर
25.	18/2008	श्री नरेन्द्र यादव कनिष्ठ लिपिक जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर नगर, जयपुर।	31.7.2041	जीएडी/5/टी-1/125 विद्याधर नगर
26.	19/2008	श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा कनिष्ठ लिपिक कार्यालय प्रधान मुख्य वन	31.7.2041	जीएडी/5/टी-1/128बी विद्याधर नगर

		संरक्षक, जयपुर।		
27.	20/2008	श्री अरविन्द पारीक कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ड्रिलिंग उपखण्ड-द्वितीय, जयपुर।	30.6.2026	जीएडी/5/टी-1/135 विद्याधर नगर
28.	85/2012	श्री महेश गौतम कनिष्ठ लिपिक सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.8.2053	जीएडी/5/टी-1/153 विद्याधर नगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
29.	87/2012	श्रीमती सुशीला कुमावत कनिष्ठ लिपिक गृह (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.3.2044	जीएडी/5/टी-1/158 विद्याधर नगर
30.	22/2008	श्री रामनिवास यादव वाहन चालक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर।	31.1.2022	जीएडी/5/टी-1/159 विद्याधर नगर
31.	23/2008	श्री राजेन्द्र कुमार मीणा कनिष्ठ लिपिक हाल पदस्थापन सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हाल कार्यालय राज्यमंत्री गोपालन विभाग, जयपुर।	31.5.2036	5/149, गांधीनगर

शर्त:-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क़य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटनी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क़य नहीं किया है।
8. क्रम संख्या 3,4,5,6,7,8,9,11 एवं 12 पर अंकित आवण्टियों से कॉमन सुविधा राशि रूपये 75/- (अक्षरे राशि रूपये पिचहत्तर मात्र) सीधे ही इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह०

(पी.डी. पारीक)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. अतिरिक्त जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. उप सचिव, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. निदेशक, कृषि निदेशालय राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. निदेशक, निदेशालय जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मुख्य वास्तुविद्, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. उपायुक्त, पुलिस मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
13. प्रभारी अधिकारी (संस्थापनशाखा), जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
14. प्रभारी अधिकारी (संस्थापनशाखा), हरिबक्स कावंटिया जिला चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
15. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
16. प्राचार्य, राज.उच्च माध्यमिक विद्यालय, बजाज नगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
17. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
18. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
19. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ड्रिलिंग उपखण्ड-द्वितीय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
20. वित्तीय सलाहकार कार्मिक(ग-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
21. **अधिकांश अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।**
22. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
23. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
24. अधिकांश अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (मुख्यालय) जयपुर।
25. अधिकांश अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/ विद्याधर नगर, जयपुर।
26. अधिकांश अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल/ विद्याधर नगर, जयपुर।
27. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर/ पुलिस अकादमी परिसर, पानीपेच, जयपुर -कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
28. **संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिकांश अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मिलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।**
29. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
30. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवेदन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर